बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

विषयः- उप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की व्यवस्था को समाप्त करते हुए आंतरिक वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति संबंधी व्यवस्था ।

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या-602, दिनांक 20-03-2007 द्वारा राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पर बिहार कार्यपालिका नियमावली में स्वीकृत संशोधन के आलोक में. सचिवालय के विभागों के लिए आंतरिक वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति संबंधी कार्य वित्त विभाग को सौंपे जाने के फलस्वरूप आंतरिक वित्तीय सलाहकारों की नियुक्ति अब निम्नांकित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगी ।

1. संबंधित विभागों में पदस्थापित उप सचिव से अन्यून पदा0 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार घोषित किया जाएगा ।
2. आवश्यकतानुसार एक से अधिक विभागों के लिए एक ही आंतरिक वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति की जा सकती है ।
3. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति हेतु संबंधित विभागों द्वारा उप सचिव से अन्यून तीन पदाधिकारी का पैनल वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा । जहाँ तक सम्भव हो, संबंधित पदाधिकारी को आंतरिक वित्तीय सलाहकार का पूर्ण कालीन कार्य दिया जाये । संबंधित पदाधिकारी योजना/गैर योजना में स्कीमों की स्वीकृति का कार्य नहीं देखेंगे जिससे उनके द्वारा निष्पक्ष रूप से स्कीमों की समीक्षा की जा सके । वित्त विभाग द्वारा आंतरिक वित्तीय सलहाकार के पद पर उनकी नियुक्ति संबंधी अधिसूचना निर्गत की जाएगी तथा इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था वित्त विभाग द्वारा की जाएगी ।
4. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की गोपनीय चारित्री उनके विभाग के विभागीय प्रधान सचिव/सचिव एवं वित्त विभाग के प्रधान सचिव द्वारा संयुक्त रूप से लिखी जाएगी ।
5. आंतरिक वित्तीय सलाहकार के कार्य/शक्तियों के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सभी आदेश/निदेश यथावत् लागू रहेंगे ।

6. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहायता हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 2046 वि0(2) दिनांक 14-03-1986 द्वारा उप-आंतरिक वित्तीय सलाहकार की व्यवस्था की गई थी । उक्त व्यवस्था को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाता है ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाए और इसकी प्रति सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाए ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)
अपर वित्त आयुक्त(व्यय) ।

ज्ञाप सं0-एम04-28/2007/.....4378.....वि0(2), पटना, दिनांक 31/10/06

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)
अपर वित्त आयुक्त(व्यय) ।

ज्ञाप सं0-एम04-28/2007/.....4379.....वि0(2), पटना, दिनांक 31/10/06

प्रतिलिलि-माननीय उपमुख्य(वित्त)मंत्री, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)
अपर वित्त आयुक्त(व्यय) ।

ज्ञाप सं0-एम04-28/2007/.....4380.....वि0(2), पटना, दिनांक 31/10/06

प्रतिलिपि-सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/लोकायुक्त के सचिव, बिहार, पटना/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, राज्य सूचना आयोग/सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/परिषद सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)
अपर वित्त आयुक्त(व्यय) ।

ज्ञाप सं0-एम04-28/2007/............................/वि0(2), पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)
अपर वित्त आयुक्त(व्यय) ।

ज्ञाप सं0-एम04-28/2007/............................/वि0(2), पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- वित्त विभाग के सभी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)
अपर वित्त आयुक्त(व्यय) ।

ज्ञाप सं0-एम04-28/2007/............................/वि0(2), पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को आगामी राजकीय गजट के असाधारण अंक में मुद्रण एवं प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि इस संकल्प की 2000 (दो हजार) अतिरिक्त प्रतियॉं मुद्रित कराकर यथाशीघ्र वित्त(प्रशाखा-4)विभाग को उपलब्ध कराई जाए ।

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)
अपर वित्त आयुक्त(व्यय) ।